

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1547 / 2015 / चित्तौडगढ

मैसर्स श्याम आयरन स्टोर
गंगरार, चित्तौडगढ

अपीलार्थी

बनाम

1. उपायुक्त(प्रशासन)
वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट-षष्टम, वृत-चित्तौडगढ

प्रत्यर्थागण

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री वी.सी.सोगानी
अभिभाषक
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थागण की ओर से

निर्णय दिनांक 25.01.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी ने उपायुक्त(प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 29.06.2015 के विरुद्ध पेश की गयी हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-षष्टम, वृत-चित्तौडगढ (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2011-12 का कर निर्धारण पारित करने हेतु दिनांक 02.12.2013 को दिनांक 16.12.2013 के लिए नोटिस जारी किया गया है, जो कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पेज 7 पर उपलब्ध है। उक्त नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ना तो कोई उपस्थित हुआ और ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त नोटिस की तामीली मानते हुए एक पक्षीय आदेश दिनांक 24.01.2014 पारित कर रू. 45,319/- की मांग सृजित की गई है। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 24.01.2014 से असन्तुष्ट होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये उक्त कर निर्धारण आदेश पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है, अतः प्रकरण रि-ओपन करने हेतु अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आदेश दिनांक 29.06.2015 पारित कर अपीलार्थी व्यवसायी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2015 से क्षुब्ध होकर व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.01.2014 पारित कर रू. 45,319/- की मांग सृजित की है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है, जो तथ्यों एवं रिकार्ड के अनुसार उचित नहीं है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना नोटिस तामील कराये ही कर निर्धारण आदेश पारित किया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपील स्वीकार कर प्रकरण रि-ओपन करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को वर्ष 2011-11 का कर निर्धारण पारित करने हेतु दिनांक 02.12.2013 को दिनांक 16.12.2013 के लिए जरिए जारी किया है, किन्तु उसकी पालना में नियत तिथि को अपीलार्थी व्यवहारी की ना तो कोई उपस्थित हुआ और ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया है। उनका कथन है कि नोटिस तामीली के बावजूद अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ना तो स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ और ना ही कोई उपस्थित हुआ, ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी ने एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.01.2014 पारित करते हुए रू.45,319/- की मांग सृजित की है, जो उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन कि उन्हें कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय पर मनन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पेज 07 पर एक नोटिस उपलब्ध है, जो दिनांक 02.12.2013 को दिनांक 16.12.2013 के लिए जारी किया गया है, उक्त नोटिस अपीलार्थी व्यवहारी को तामील हुआ अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई दस्तावेजीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उक्त नोटिस के अतिरिक्त अन्य कोई नोटिस जारी किया जाना कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली से स्पष्ट नहीं होता



है। उनको चाहिए था कि यदि एक बार नोटिस की पालना में व्यवहारी उपस्थित नहीं हुआ था, तो एक और अवसर देना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। कर निर्धारण अधिकारी ने एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.01.2014 को पारित कर रु. 45,319/-की मांग सृजित की है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों की अनेदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2015 पारित कर अपील को अस्वीकार किया गया है, जो उचित नहीं है।

अतः प्रकरण के तथ्यों पर गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात न्याय हित में अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, उसे सुनने के पश्चात दो माह में पुनः आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस निर्णय की तामीली के पश्चात साठ दिवस के भीतर स्वतः कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आलोच्य अवधि का पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने में सहयोग प्रदान करें। यदि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अवधि में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो अपीलाधीन आदेश यथावत रहेगा।

फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2015 एवं कर निर्धारण अधिकारी के कर निर्धारण आदेश 24.01.2015 को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार कर उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य